



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, अक्टूबर 26—नवम्बर 1, 2014, शनिवार/कार्तिक 4—कार्तिक 10, 1936
No. 22] NEW DELHI, OCTOBER 26—NOVEMBER 1, 2014, SATURDAY/KARTIKA 4—KARTIKA 10, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2014

कानि.आ. 64.— भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 तारीख 22 अक्टूबर में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग की अधिसूचना कानि.आ. 97 तारीख 10 नवम्बर, 2012 में पृष्ठ 560 पर पंक्ति 4 में “राजपत्रित” के स्थान पर “अराजपत्रित” पढ़ा जाए।

[सं. डी.एच.आर.डी. /16342/भ. नि./प्रशासनिक संवर्ग/सी/पी/02/2198/रक्षा (अनु. एवं वि.)/14]
एस. डी. भसोर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th September, 2014

S. R. O. 64.— In the notification of the Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development dated the 22nd October, 2012 published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide S. R. O. 97, dated the 10th November, 2012 page 568, in line 39, for “Gazetted” read “Non Gazetted”.

[No. DHRD/16432/RRs/Admin Cadre/C/P/02/2198/D(R&D)/14]

S. D. BHASOR, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2014

का.नि.आ. 65.— भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 तारीख 18 अक्टूबर में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग की अधिसूचना का.नि.आ. 94 तारीख 10 नवम्बर, 2012 में पृष्ठ 542 पर, पंक्ति 37 में “राजपत्रित” के स्थान पर, “अराजपत्रित” पढ़ा जाए।

[सं. डी.एच.आर.डी. /16342/भ. नि./भंडार संवर्ग/सी/पी/03/2199/रक्षा (अनु. एवं वि.)/14]
एस. डी. भसोर, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th September, 2014

S. R. O. 65.— In the notification of the Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development dated the 18th October, published in the Gazette of India, Part -II, Section 4, vide S. R. O. 94, dated the 10th November, 2012 at page 542, in line 37, for “Gazetted” read “Non Gazetted”.

[No. DHRD/16432/RRs/Store Cadre/C/P/03/2199/D(R&D)/14]
S. D. BHASOR, Under Secy.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2014

का.नि.आ. 66.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) संशोधन भर्ती नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा लेखा विभाग (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2009 में—
(क) नियम 2 में “वेतनमान” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” शब्द रखें जाएंगे ;
(ख) अनुसूची में—
(i) स्तंभ (4) में “वेतनमान” शीर्ष और उसके अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वेतनमान बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”

(4)

वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 6600 रु.

(ii) स्तंभ (12) में वेतन ग्रेड में “7,500-12000 रुपए कृपया के वेतनमान” अंकों और शब्दों के स्थान पर, “वेतन बैंड-2 , 9,300-34,800 रु. धन वेतन 4,800 रु.” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(3)/सी/2007]

देविका रघुवंशी, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4 में अधिसूचना सं. का. नि. आ. 17 तारीख 1 अगस्त, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(FINANCE DIVISION)

New Delh, the 21st October, 2014

S.R.O. 66.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2009, namely:-

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Amendment Recruitment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Defence Accounts Department (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2009, --
 - (a) in rule 2, for the words "scale of pay" at both the places, where they occur, the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted;
 - (b) in the Schedule-
 - (i) in column (4), for the heading "Scale of Pay" and the existing entries there under, the following shall be substituted, namely-

"Pay band and
grade pay or
pay scale"

(4)

"Pay Band-3 of
Rs.15600-39100
plus grade pay
Rs.6600"

- (ii) in column (12), for the words, letters and figures "pay scale of Rs.7,500- 12, 000" the words and figures " Pay band-2 of Rs. 9,300-34,800 plus grade pay Rs. 4,800" shall be substituted.

[F.No.9(3)/C/2007]

DEVIKA RAGHUVANSHI, Jt. Secy. & Addl. FA

Foot Note. -The principal notification was published in the Gazette of India vide notification number S. R. O. 17, dated the 1st August, 2009 Part-II, Section 4.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.नि.आ. 67.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक पद 'ख') भर्ती संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'ख' पद) भर्ती नियम 2011, की अनुसूची के स्तंभ (10) की मद (ii) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

"25% प्रोन्नति द्वारा वेतन बैंड 1 में 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे प्रशासनिक सहायक 'क' हों उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जिसके न हो सकने पर ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा "

[फा. सं. डी.एच.आर.डी. /76257/आर आर/प्रशासनिक सहायक 'ख'/सी/पी/04]

एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का. नि. आ. 59 तारीख 13 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् भर्ती नियम का.नि.आ. 65 तारीख 19 अक्टूबर 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd September, 2014

S.R.O. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Administrative Assistant 'B' post) Recruitment Rules, 2011, in column (10), for the existing entry at item (ii), the following entry shall be substituted, namely:—

“25% by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Administrative Assistant 'A' in the Pay Band-I, Rs 5200-20200 plus Grade Pay of Rs.1900/- with five years regular service in the grade, failing which by promotion on the basis of seniority”.

[F. No. DHRD/76257/RRs/Admin Asst/B'/C/P/04]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4 vide number S.R.O. 59, dated the 13th August, 2011 and subsequently amended vide number S.R.O. 65, dated the 19th October, 2013.

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2014

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द के अधीन स्थापनाओं में (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2014 है।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग') पद भर्ती नियम 2012, की अनुसूची के स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रत्येक पद के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी अर्थात् :—

(i)	ब्रिगेडियर या समकक्ष	अध्यक्ष
(ii)	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष	सदस्य
(iii)	मेजर या कैप्टन या समकक्ष	सदस्य

टिप्पणः क्रम संख्या (i) और (ii) पर विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य उसी संगठन से नहीं होंगे।

[फा. सं. 15762/आर आर/समूह 'ग'/आई डी एस/कार्मिक/277/र.(नि.)/2014]

दलपत सिंह, अवर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 61, तारीख 07 अगस्त, 2012 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 20th October, 2014

S. R.O. 68.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, (Group 'C') posts, Recruitment Rules, 2012, namely:—

- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff, (Group 'C') posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2014.